न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला –

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	सीताराम बनाम राज सरकार पुत्र ... (1-2)
	को पक्ष सुने बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना इसी स्तर पर उचित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर जारी नहीं की जा सकती है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी पेशी को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
8-11-24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विधान सभा के निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 28.11.24 को पेश हो।
28/11/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित इनका जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी ~~ने प्रार्थना पत्र~~ पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी 5/12/24 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
5/12/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में दर्ज आदेशिका पर साक्ष्य वादी में लगा दी गयी थी जिसे सही किया जाकर बहस में लगाया जाता है। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध शजरा व दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख.न. 1672, 1854 का हिस्सा
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
[illegible] बनाम राजस्थान सरकार मु.नं. 15/21	

आराजी 1 ब चारागाह है तथा उक्त भूमि रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि ख.नं. 612, 1859 के पूर्व ख.नं. 296, 321, 370 पर प्रार्थी के पिता एवं प्रार्थी का कब्जा लगते समय से चला आ रहा है तथा सेटलमेंट विभाग की लापरवाही से उक्त खसरा नम्बरान चारागाह में दर्ज कर दिये गये हैं तथा सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थी के हक में ख.नं. 1641, 1646, 1647, 1648 में प्रार्थी के पिता को खातेदार घोषित किया है जबकि प्रार्थी का कब्जा पूर्व ख.नं. 196, 321, 370 पर ही रहा है। [illegible] ख.नं. अतः प्रार्थी द्वारा वादपत्र में कब्जे अनुसार ख.नं. 1642, 1859 का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। तथा दौराने वाद कब्जे से बेदखल नहीं किये जाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की मांग करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी करवाना चाह रहा है। चूंकि प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्ड्स खातेदार नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है एवं विवादित आराजी चारागाह भूमि है। प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादपत्र तथा प्रार्थना पत्र में ऐसी किसी घटना, धोखा या धमकी का जिक्र नहीं किया है जो कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को दी गयी हो तथा जिससे विवादित आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-द

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म	गिल्याराम बनाम राजस्थान सरकार मु.नं. 75/24
	के नष्ट होने का खतरा हो या प्रावधान की वीदरचल किये जाने की सम्भावना हो। अतः सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इसलिए प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्मित करने के लिए तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner